Safety Equipments

वाकी–टाकी / walkie-talkie

ब्रेथएनालाइजर

बी. पी. प्रेसर गेज

सी.एम.एस.

ट्राई कलर टार्च

फाग सेफ डिवाइस

Safety Posters/slogen

एच टाइप टाइट लाक सी.बी.सी.कपलर को जोड़ने का सही तरीका

1) सर्वप्रथम लोको को गाड़ी से 20 मी. पहले खड़ा कर लें।

2) गाड़ी के कम से कम 05 कोचों में ब्रेक लगा होना सुनिश्चित करें।

3) हैण्ड सिगनल मिलने पर लोको को गाड़ी से 1 से 1.5 मी की दूरी पर खड़ा करें।

4) लोको का कपलर खुला होना तथा उसका सेफ्टी पिन निकला होना सुनिश्चित करें तथा लोको एवं कोच के कपलर का एलाइनमेंट चेक कर लें। दोनों का कपलर लगभग सेंटर में होना चाहिए।

5) लोको को 2 से 3 किमी/घं. की गति से जोड़े तथा निम्न का होना सुनिश्चित करें।

   a. दोनों तरफ का उल्टा V स्लाट का क्लियर होना सुनिश्चित करें

   b. लाक पिन के दोनो तरफ का होल आरपार दिखायी देना सुनिश्चित करें तथा पिन को लगा दें।

   c. आपरेटिंग हैंडिल का वर्टिकल कंडिशन में होना सुनिश्चित करें तथा हैंडिल को लाक करें।

6) गाड़ी में ब्रेक लगे दशा में जी.एफ.को आन कर 2 से 3 नाच खोलें। कपलिंग खुलना नहीं चाहिए।

विद्युत आपरेशन विभाग
पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी

Safety Posters/slogen

सिगनलो के प्रति लोको पायलट दल के कर्तव्य

(GR & SR 3.78)

1– सिगनलों पर पुरा विश्वास न करें सदा चौकस एवं सतर्क रहें।

2– इंजन से एक पटाखा फूटने पर गाड़ी की गति को नियंत्रित करें तथा किसी भी अवरोध से पहले रूकने के लिए तैयार रहें।

3– सामने फ़्लैशर लाइट जलने पर उससे पहले गाड़ी को खड़ी करें।

4– हेड लाइट का क्रमश: ऑन–ऑफ होना खतरे का संकेत है उससे पहले रूकें।

5– परस्पर विरोधी सिगनल से पहले गाड़ी खड़ी करें।

6– कालिंग ऑन सिगनल का पालन रूकने के बाद ही करें।

7– सिगनल के संकेत में परिवर्तन हो सकता है । अत: उस पर लगातार निगाह बनाए रखें।

8– आगे साफ दिखाई नहीं देने पर गाड़ी पूरी तरह नियंत्रण में रखें।

9– रास्ते में गेट मैन / केबिन मैन/ गैंग मैन एवं अन्य के हैण्ड सिगलन पर निगाह रखें तथा उसके पालन के लिए तत्पर रहें।

विद्युत आपरेशन विभाग

पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी

Safety Posters/slogen

मालगाड़ी में कन्टीन्यूटी टेस्ट

1. लो. पा. इंजन में MR-8.0kg/cm², BP - 5.0kg cm² तथा FP - 6.0 kg/cm² तथा गार्ड ब्रेक वान में BP- 4.8 kg/cm² तथा FP - 5.8 kg/ cm² होना सुनिश्चित करेंगे।
2. लो.पा. A9 Brake valve handle द्वारा B.P. प्रेशर 1.0kg/cm² ड्राप करेंगे जिससे लोको में BP प्रेशर 4.0kg/cm² तथा गार्ड ब्रेक वान में 3.8kg/cm² प्रेशर हो जायेगा।
3. लो.पा. 3/4'' BP COC को बन्द कर देगा तथा गार्ड से BP Pressure शुन्य करने को कहेंगे।
4. गार्ड अंतिम वाहन (ब्रेक वान) के BP cock को खोलकर BP प्रेशर शुन्य कर देंगे। लोको में भी BP प्रेशर शून्य हो जाना चाहिए।
5. गार्ड पीछे के 04 वैगन तथा सलोपा आगे के चार वैगन में ब्रेक लगना सुनिश्चित करेंगे।
6. अब लो. पा 3/4'' BP cock को खोलकर B.P. प्रेशर 5.0 kg/ cm² चार्ज कर लेगें

नोट H.H.P loco में गार्ड द्वारा B.P. प्रेशर ड्राप करने से पहले लोको पायलट LT Switch को test पर कर देगें।

चालक, सहायक चालक एवं मोटर मैन द्वारा फ्लैशर लाइट का उपयोग

निम्नलिखित संकेत पाने पर फ्लैशर लाइट तुरन्त आन करें।

1. चलते समय प्रेशर/बैक्यूम अचानक कम होने तथा एयर फ्लो मीटर का अचानक बढ़ जाना।
2. अचानक रेल पट्टी पर जोर का झटका लगने पर।
3. रेल पट्टी टूटने/वेल्ड खुलने पर।
4. गाड़ी के दो हिस्से होने पर।
5. इंजन में खराबी होने पर।
6. गाड़ी पटरी से उतरने पर।
7. ट्रेन में आग लगने पर।
8. वैगन से सामान गिरना।
9. कोई अन्य परिस्थिति जिसकी वजह से बगल की पटरी का बचाव आवश्यक हो।

विद्युत आपरेशन विभाग
पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी

जर्क मिलने पर ड्राइवर के कर्तव्य

गाड़ी कार्य करते समय यदि चालक को किसी ब्लाक खण्ड में जर्क का आभास होता है, तो वह बिना समय गँवाये निम्नलिखित कार्यवाही करेगा –

1. फ्लैशर लाइट को तुरन्त ON कर देगा।
2. ब्लाक खण्ड के किमी0 (पोल सं0) नोट करेगा, यदि किमी0 नहीं दिखाई दे तो लम्बा किमी0 नोट करेगा।
3. गाड़ी को तुरन्त खड़ी करेगा, उसके उपरान्त जर्क वाले स्थान पर जाकर उसकी गम्भीरता का निरीक्षण करेगा और पायी/दिखी हुयी खराबी को नोट करेगा।
4. गार्ड से आल राइट सिगनल का आदान–प्रदान कर अपनी गाड़ी को आगे ले जायेगा एवं ब्लाक सेक्शन को अवरूद्ध करते हुए गाड़ी को खड़ी करेगा, यदि गाड़ी टोकन सिस्टम के साथ कार्य कर रही हो तो ड्राइवर बिना मेमो दिये स.स्टे.मा. को टोकन नहीं सौंपेगा।
5. अपने मेमों में ड्राइवर स्पष्ट उल्लेख करेगा कि क्या गाड़ी चलाना असुरक्षित तो नहीं है और यदि नहीं तो जर्क की गम्भीरता कितनी थी तथा कितनी गति से गाड़ी चलायी जा सकती है।

विद्युत आपरेशन विभाग

पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी

IBH ऑन की स्थिति में पास करना (GR 3.75)

1– यदि लोको पायलट को मध्यवर्ती स्टॉप सिगनल ऑन की स्थिति में मिलता है तो अपनी गाड़ी को सिगनल से पहले रोक लेगा तथा यदि खम्भे पर टेलिफोन लगा है तो पिछले ब्लाक स्टेशन से बात करेगा।

2–यदि IBS खराब है तो स्टेशन मास्टर प्राइवेट नम्बर के साथ खराब सिगनल को पास करने के लिए आदेश जारी करेगा।

3–यदि टेलिफोन नहीं लगा है तो लोको पायलट गाड़ी को 5 मिनट प्रतीक्षा करने के बाद यदि मौसम साफ है तथा लाइन स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो अधिकतम 15 किमी /घं तथा यदि मौसम साफ नहीं है तो अधिकतम 10 किमी /घं की गति से किसी भी अवरोध से पहले रूकने के लिए तैयार रहेगा।

4–इस खराबी की रिपोर्ट अगले स्टेशन मास्टर को करेगा ।

5– साइन ऑफ के समय सीएमएस/सिगनल विफलता रजिस्टर में दर्ज करेगा।

कुहासे के मौसम में ट्रेन संचालन से संबंधित सावधानियाँ

1) पूर्ण ब्लाक पद्धति में गाड़ियों की अधिकतम गति सीमा 60 किमी/घं., होगी अथवा कोहरे की स्थिति देखते हुए लोको पायलट अपने विवेकानुसार गाड़ी चलायें ताकि प्रत्येक परिस्थिति में गाड़ी पूर्ण नियंत्रण में रहे।

2) यदि स्टेशन मास्टर के द्वारा कोहरे के मौसम में वाकी–टाकी पर लोको पायलटों को सिगनल की स्थिति की उद्घोषणा की जाती है तो स्टेशन मास्टर की उद्घोषणा के बावजूद संबंधित सिगनल का संकेत देख कर ही गाड़ी को आगे बढ़ाना है ।

3) जिन लोको पायलटों के फाग सिगनल की तिथि समाप्त हो गई है या 1–2 माह में समाप्त होने वाली है वे अपने पटाखे स्टोर में जमा करके बदले में नये पटाखे लेलें ।

4) सभी लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट साईनिंग ऑन के पूर्व अपने–अपने वाकी–टाकी का पूर्णरूपेण चार्ज होना सुनिश्चत कर लेंगे।

5) सभी लोको पायलटों को लेवल क्रासिंग फाटक पार करते समय नियमानुसार सीटी बजानी है।

6) फाग सेफ डिवाइस यदि उपलब्ध हो तो साथ में अवश्य लेकर जाएं। लेते वक्त जाँच कर लें कि ठीक है।

7) किसी भी प्रकार की असाधारण परिस्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगा कर गाड़ी खड़ी करें।

8) यदि गोलाई में लोको पायलट के साइड में सिगनल है तो सलोपा,लोपा के साइड आकर सिगनल संकेत देखकर सुनिश्चत करेगा।

9) सिगनल काल आउट ऊँची आवाज में हाथ उठाकर सिगनल संकेत, सिगनल का नाम, स्टेशन के नाम के साथ किया जाए ।

10) लोको का वायपर,हेड लाइट,मार्कर लाइट, फ्लेशर लाइट का कार्यरत होना सुनिश्चित करें ।

विद्युत आपरेशन विभाग

पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी

Safety Posters/slogen

ट्रेन पार्टिंग (जी. आर 6.08)

यदि गाड़ी संचालन के दौरान दो या दो से अधिक भागों में अलग हो जाती है तो :–

1– लोको पायलट यथा सम्भव गाड़ी के अगले भाग को तब तक चलाता रहेगा जब तक कि पिछला भाग रूक न जायें और निर्धारित कोड की सीटी बजाकर गाड़ी के विभाजन की सूचना गार्ड को देगा। फ्लैशर लाईट जला देगा।

2– गार्ड अगले भाग से टक्कर बचाने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न करेंगे। हैण्ड ब्रेक को लगा देगें।

3– यदि बैंकर लोको लगा है तो लोको पायलट पिछले भाग को रोक देगा, तथा अगले लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करने के लिए निर्धारित कोड की सीटी बजायेगा।

4– गाड़ी का पिछला भाग रूक जाने के बाद गार्ड G.R. 6.03 के अनुसार गाड़ी की रक्षा करेगा।

5– गार्ड दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती अधिक से अधिक ऊपर नीचे बार–बार हिलाकर गाड़ी के विभाजन हो जाने का संकेत देगा।

6– जब विभाजित गाड़ी के दोनों भाग रूक कर खड़े हो जाते हैं तो गार्ड के हैण्ड सिगनल की सहायता से गाड़ी को सतर्कता पूर्वक जोड़ दिया जाएगा।

7– यदि लोको पायलट विभाजित गाड़ी को रोकने से पूर्व ही अगले ब्लाक स्टेशन पर पहुँच जाता है तो इसकी सूचना तुरन्त केबिनमैन या स्टेशन मास्टर को देगा। यदि उसके पास कोई प्रस्थान प्राधिकार है तो उसे किसी को तब तक नहीं देगा जब तक ब्लाक सेक्शन उसके गाड़ी के सभी वाहनों से साफ नहीं हो जाता।

8– जब लोको पायलट गाड़ी के पीछे छोड़े भाग को ले जाने के लिए वापस भेजा जाता है तो स्टेशन मास्टर लोको पायलट को अवरूद्ध ब्लाक खण्ड में जाने के लिए टी.ए /602 का फार्म जारी करेंगे।

विद्युत आपरेशन विभाग

पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी

Safety Posters/slogen

कन्टीन्यूटी टेस्ट

कन्टीन्यूटी परीक्षण एयर ब्रेक प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण है। ब्रेक पाइप निरन्तरता के लिये यह परीक्षण किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि ब्रेक एप्लीकेशन एवं रीलिज के दौरान पूरी गाड़ी में ब्रेक एप्लीकेशन एवं रीलिज हो जायेगा।

ऐसी दशाओं में कन्टीन्यूटी टेस्ट करें:

1. लोको जोड़ने या अलग करने पर।
2. जब एक या अधिक कोच या वैगन लगाये जायें।
3. जब अतिंम छोर को छोड़कर एक या अधिक कोच/ वैगन काटे जायें।
4. जब ट्रेन या लोको के BP angle cocks को बन्द कर कोई दोष को अटेन्ड किया गया हो जिससे ब्रेक कन्टीन्यूटी प्रभावित हुयी हो।

सवारी गाड़ी में कन्टीन्यूटी टेस्ट

1. सर्वप्रथम लो. पा. एवं गार्ड संचार माध्यम सुनिश्चित करेंगे।
2. लो. पा. इंजन में MR-8.0kg/cm^2, BP 5.0kg/cm^2 तथा F.P - 6.0 kg/cm^2 तथा गार्ड ब्रेक वान में BP 4.8 kg/cm^2 तथा F.P - 5.8 kg/ cm^2 होना सुनिश्चित करेंगे।
3. तदोपरान्त लो.पा. A9 Brake valve handle द्वारा B.P. प्रेशर 1.0 kg/ cm^2 ड्राप करेंगे जिससे लोको में B.P. 4.0 kg/ cm^2 तथा गार्ड ब्रेक वान में 3.8kg/ cm^2 प्रेशर हो जायेगा।
4. लोको पायलट A9 handle को रीलिज पर रख देगा जिससे लोको में B.P. प्रेशर 5.0 kg/cm^2 तथा ब्रेक वान में 4.8 kg/cm^2 प्रेशर आ जायेगा।
5. लोको पायलट 3/4'' BP COC को बन्द कर देगा तथा गार्ड ब्रेक वान से B.P. प्रेशर 3.6 kg/cm^2 तक ड्राप करेगा। इंजन में भी B.P. प्रेशर 1.0 kg/ cm^2 से 1.2 kg/ cm^2 तक ड्राप होना चाहिये।
6. अब लो. पा. 3/4'' BP cock को खोलकर B.P. प्रेशर 5.0kg/ cm^2 चार्ज कर लेगें

नोट H.H.P loco में गार्ड द्वारा B.P. प्रेशर ड्राप करने से पहले लोको पायलट LT Switch को test पर कर देगें।

शार्टकट अपनाकर दुर्घटना को बुलावा न दें ।

अधूरी कार्यप्रणाली खतरनाक है ।

Safety Posters/slogen

ट्रेन पार्टिंग (जी. आर 6.08)

यदि गाड़ी संचालन के दौरान दो या दो से अधिक भागों में अलग हो जाती है तो :–

1– लोको पायलट यथा सम्भव गाड़ी के अगले भाग को तब तक चलाता रहेगा जब तक कि पिछला भाग रूक न जायें और निर्धारित कोड की सीटी बजाकर गाड़ी के विभाजन की सूचना गार्ड को देगा। फ्लैशर लाईट जला देगा।

2– गार्ड अगले भाग से टक्कर बचाने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न करेंगे। हैण्ड ब्रेक को लगा देगें।

3– यदि बैंकर लोको लगा है तो लोको पायलट पिछले भाग को रोक देगा, तथा अगले लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करने के लिए निर्धारित कोड की सीटी बजायेगा।

4– गाड़ी का पिछला भाग रूक जाने के बाद गार्ड G.R. 6.03 के अनुसार गाड़ी की रक्षा करेगा।

5– गार्ड दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती अधिक से अधिक ऊपर नीचे बार–बार हिलाकर गाड़ी के विभाजन हो जाने का संकेत देगा।

6– जब विभाजित गाड़ी के दोनों भाग रूक कर खड़े हो जाते हैं तो गार्ड के हैण्ड सिगनल की सहायता से गाड़ी को सतर्कता पूर्वक जोड़ दिया जाएगा।

7– यदि लोको पायलट विभाजित गाड़ी को रोकने से पूर्व ही अगले ब्लाक स्टेशन पर पहुँच जाता है तो इसकी सूचना तुरन्त केबिनमैन या स्टेशन मास्टर को देगा। यदि उसके पास कोई प्रस्थान प्राधिकार है तो उसे किसी को तब तक नहीं देगा जब तक ब्लाक सेक्शन उसके गाड़ी के सभी वाहनों से साफ नहीं हो जाता।

8– जब लोको पायलट गाड़ी के पीछे छोड़े भाग को ले जाने के लिए वापस भेजा जाता है तो स्टेशन मास्टर लोको पायलट को अवरूद्ध ब्लाक खण्ड में जाने के लिए टी.ए /602 का फार्म जारी करेंगे।

विद्युत आपरेशन विभाग
पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी

Safety Posters/slogen

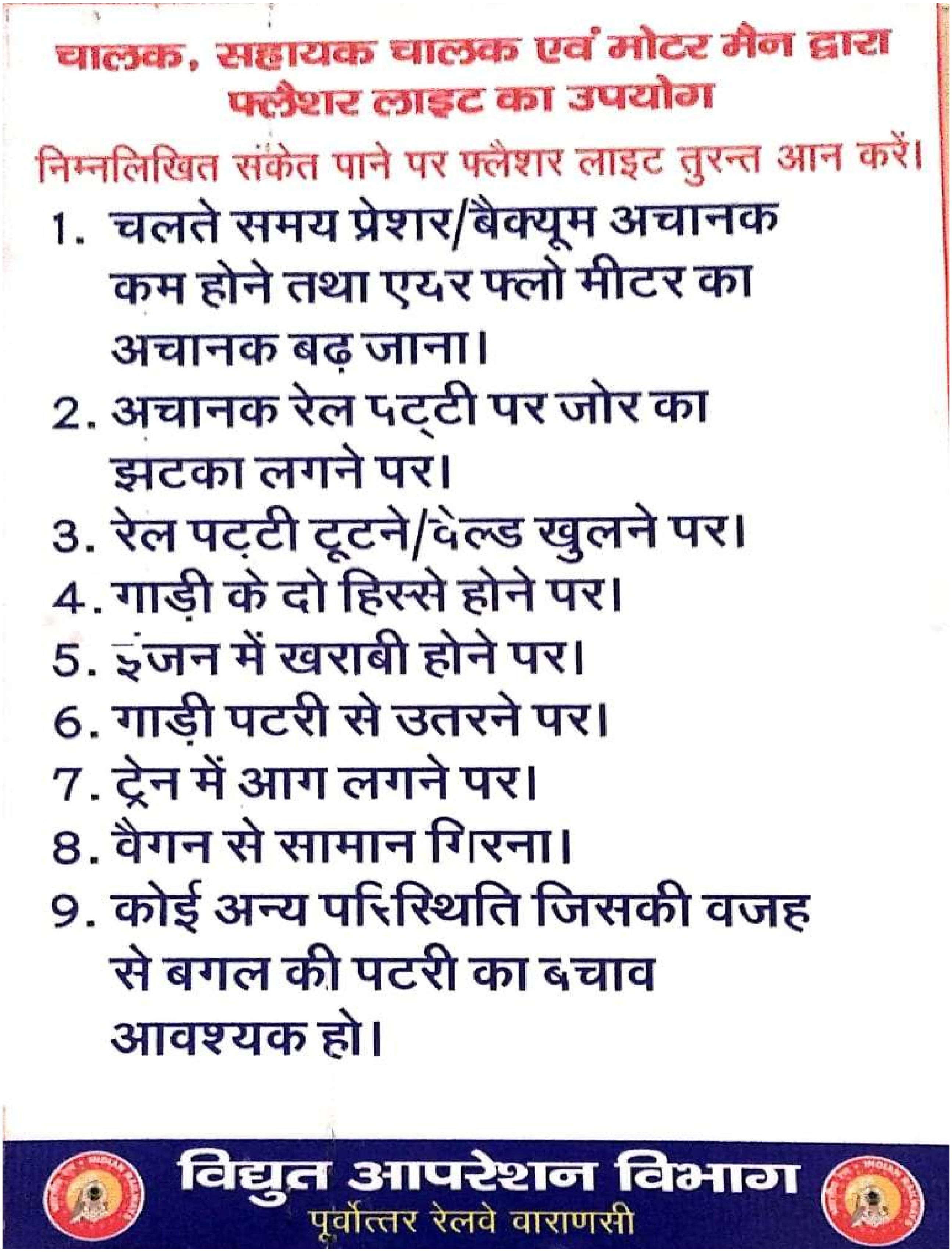

सिगनलो के प्रति लोको पायलट दल के कर्तव्य

(GR & SR 3.78)

1– सिगनलों पर पुरा विश्वास न करें सदा चौकस एवं सतर्क रहें।

2– इंजन से एक पटाखा फूटने पर गाड़ी की गति को नियंत्रित करें तथा किसी भी अवरोध से पहले रूकने के लिए तैयार रहें।

3– सामने फ़्लैशर लाइट जलने पर उससे पहले गाड़ी को खड़ी करें।

4– हेड लाइट का क्रमशः ऑन–ऑफ होना खतरे का संकेत है उससे पहले रूकें।

5– परस्पर विरोधी सिगनल से पहले गाड़ी खड़ी करें।

6– कालिंग ऑन सिगनल का पालन रूकने के बाद ही करें।

7– सिगनल के संकेत में परिवर्तन हो सकता है । अतः उस पर लगातार निगाह बनाए रखें।

8– आगे साफ दिखाई नहीं देने पर गाड़ी पूरी तरह नियंत्रण में रखें।

9– रास्ते में गेट मैन / केबिन मैन/ गैंग मैन एवं अन्य के हैण्ड सिगलन पर निगाह रखें तथा उसके पालन के लिए तत्पर रहें।

विद्युत आपरेशन विभाग

पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी

Safety Posters/slogen

ट्रेन पार्टिंग (जी. आर 6.08)

यदि गाड़ी संचालन के दौरान दो या दो से अधिक भागों में अलग हो जाती है तो :–

1– लोको पायलट यथा सम्भव गाड़ी के अगले भाग को तब तक चलाता रहेगा जब तक कि पिछला भाग रूक न जायें और निर्धारित कोड की सीटी बजाकर गाड़ी के विभाजन की सूचना गार्ड को देगा। फ्लैशर लाईट जला देगा।

2– गार्ड अगले भाग से टक्कर बचाने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न करेंगे। हैण्ड ब्रेक को लगा देगें।

3– यदि बैंकर लोको लगा है तो लोको पायलट पिछले भाग को रोक देगा, तथा अगले लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करने के लिए निर्धारित कोड की सीटी बजायेगा।

4– गाड़ी का पिछला भाग रूक जाने के बाद गार्ड G.R. 6.03 के अनुसार गाड़ी की रक्षा करेगा।

5– गार्ड दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती अधिक से अधिक ऊपर नीचे बार–बार हिलाकर गाड़ी के विभाजन हो जाने का संकेत देगा।

6– जब विभाजित गाड़ी के दोनों भाग रूक कर खड़े हो जाते हैं तो गार्ड के हैण्ड सिगनल की सहायता से गाड़ी को सतर्कता पूर्वक जोड़ दिया जाएगा।

7– यदि लोको पायलट विभाजित गाड़ी को रोकने से पूर्व ही अगले ब्लाक स्टेशन पर पहुँच जाता है तो इसकी सूचना तुरन्त केबिनमैन या स्टेशन मास्टर को देगा। यदि उसके पास कोई प्रस्थान प्राधिकार है तो उसे किसी को तब तक नहीं देगा जब तक ब्लाक सेक्शन उसके गाड़ी के सभी वाहनों से साफ नहीं हो जाता।

8– जब लोको पायलट गाड़ी के पीछे छोड़े भाग को ले जाने के लिए वापस भेजा जाता है तो स्टेशन मास्टर लोको पायलट को अवरूद्ध ब्लाक खण्ड में जाने के लिए टी.ए /602 का फार्म जारी करेंगे।

कुहांसे के मौसम में ट्रेन संचालन से संबंधित सावधानियाँ

1) पूर्ण ब्लाक पद्धति में गाड़ियों की अधिकतम गति सीमा 60 किमी/घं., होगी अथवा कोहरे की स्थिति देखते हुए लोको पायलट अपने विवेकानुसार गाड़ी चलावें ताकि प्रत्येक परिस्थिति में गाड़ी पूर्ण नियंत्रण में रहे।
2) यदि स्टेशन मास्टर के द्वारा कोहरे के मौसम में याकी–टाकी पर लोको पायलटों को सिगनल की स्थिति की उद्घोषणा की जाती है तो स्टेशन मास्टर की उद्घोषणा के बावजूद संबंधित सिगनल का संकेत देख कर ही गाड़ी को आगे बढ़ाना है।
3) जिन लोको पायलटों के फाग सिगनल की तिथि समाप्त हो गई है या 1–2 माह में समाप्त होने वाली है वे अपने पटाखे स्टोर में जमा करके बदले में नये पटाखे लेलें।
4) सभी लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट साईनिंग ऑन के पूर्व अपने–अपने वाकी–टाकी का पूर्णरूपेण चार्ज होना सुनिश्चत कर लेंगे।
5) सभी लोको पायलटों को लेवल क्रासिंग फाटक पार करते समय नियमानुसार सीटी बजानी है।
6) फाग सेफ डिवाइस यदि उपलब्ध हो तो साथ में अवश्य लेकर जाएं। लेते वक्त जाँच कर लें कि ठीक है।
7) किसी भी प्रकार की असाधारण परिस्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगा कर गाड़ी खड़ी करें।
8) यदि गोलाई में लोको पायलट के साइड में सिगनल है तो सलोपा,लोपा के साइड आकर सिगनल संकेत देखकर सुनिश्चत करेगा।
9) सिगनल काल आउट ऊँची आवाज में हाथ उठाकर सिगनल संकेत, सिगनल का नाम, स्टेशन के नाम के साथ किया जाए।
10) लोको का वायपर,हेड लाइट,मार्कर लाइट, फ्लेशर लाइट का कार्यरत होना सुनिश्चित करें।

विद्युत आपरेशन विभाग

पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी

Safety Posters/slogan

PME OF ALL RUNNING STAFFS

AGE Group	Schedule
Upto 45 Years	After Every 04 years
From 45-55 Years	After Every 02 years
Above 55 Years	Every years

REFRESHER COURSE FOR RUNNING STAFFS

Post	Diesel	Electric
LP	Every 03 years 21 working Days	Every 03 years 12 working Days
ALP		